न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री परशुराम धानका, आर. ए. एस.

अपील संख्या:– 03/23 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2023/26

उनवान

1. कृष्णबल्देव पुत्र थान सिंह
2. राधारमन पुत्र थान सिंह
3. जीतेन्द्र पुत्र थान सिंह
4. रामवती पत्नी थान सिंह जातियान जाट निवासीयान पूंछरी तहसील डीग जिला भरतपुर।
5. सुमित्रा पुत्री थान सिंह पत्नी लक्ष्मन सिंह
6. गायत्री पुत्री थान सिंह पत्नी वीरेन्द्र सिंह जातियान जाट निवासीयान ग्राम अजान तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।
7. आशादेवी पुत्री थान सिंह पत्नी जयप्रकाश जाति जाट निवासी ग्राम सौख तहसील व जिला मथुरा प्रान्त उ0प्र0।
8. विजय सिंह पुत्र हरगुन सिंह
9. सतीश पुत्र हरगुन सिंह
10. पूजा पुत्री हरगुन सिंह जातियान जाट निवासीयान खुटिया पोस्ट पैठा जिला मथुरा प्रान्त उ0प्र0।

.....अपीलांट।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील डीग, जिला भरतपुर।

..... रेस्पोंडेंट ।

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीग दिनांक 13.12.2022 प्र.संख्या 63/10 उनवानी थान सिंह बनाम सरकार।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री हरिकिशन शर्मा उपस्थित।
2. राजकीय अभिभाषक अनुपस्थित।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर
कैम्प–डीग

निर्णय दिनांक–22.06.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीग के निर्णय व डिक्री दिनांक 13.12.2022 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो० इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 414/0.08 वाके ग्राम पूंछरी तहसील डीग में स्थित है। उक्त आराजी साविक आराजी खसरा नम्बर 592/2 से बनाया गया है। उक्त आराजी वादी की मिलकियत मकबूजियत की भूमि है। जिसमें वादी का नौहरा बना हुआ है एवं अरसे दराज से अपने उपयोग व उपभोग में लेता चला आ रहा है। विवादित भूमि पूर्व से ही राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन आबादी के रूप में दर्ज रही है। परन्तु दौराने बन्दोवस्त इस भूमि की किस्म परिवर्तित करते हुये गैर मुमकिन बगीची दर्ज कर दिया है, जो रिकार्ड के विरूद्ध है। अतः वाद प्रस्तुत कर आराजी खसरा नम्बर 414 वाके ग्राम पूॅछरी तहसील डीग को हाल रिकार्ड में गैर मुमकिन आबादी के रूप में दर्ज करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बार बार आवाज दिलवाये जाने पर भी राजकीय अभिभाषक उपस्थित नहीं आये। अतः बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात पर कोई गौर नहीं किया एवं दावे को मात्र यह अंकित कर खारिज कर दिया कि अपीलाण्ट द्वारा संवत 2012 की जमाबन्दी आदेश देने के बाद भी पेश नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को जमाबन्दी संवत 2012 की पेश करने का कोई आदेश नहीं दिया एवं दिया भी, तो भी जमाबन्दी संवत 2012 की पेश करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय को केवल मात्र यह देखना था कि हाल आराजी खसरा नम्बर 414 वाके ग्राम पूंछरी तहसील डीग गत खसरा नम्बर 592/2 से बनाया गया है या नहीं और गत खसरा नम्बर की किस्म पूर्व में क्या है और वर्तमान में क्या है एवं बन्दोवस्त विभाग द्वारा की गयी है या नहीं। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा नहीं करते हुये, मनमाने तौर पर अपीलाण्ट का दावा खारिज करने में कानूनी भूल की है। विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकिन आबादी रही है एवं अपीलाण्ट का उक्त भूमि में नौहरा बना हुआ है। बन्दोबस्त विभाग द्वारा विवादित भूमि की किस्म बदली गयी है, जबकि बन्दोवस्त विभाग को इस प्रकार इन्द्राज अथवा किस्म बदलने का कोई अधिकार हासिल नहीं है। अन्त में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित भूमि के संबंध में तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की गयी है। तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि आराजी खसरा नम्बर 414 वाके ग्राम

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर
कैम्प-डीग

पूँछरी गैर0 मु0 बगीची के 1/2 हिस्से पर नौहरा थान सिंह पुत्र भजनलाल जाति जाट का बना हुआ है, मौके पर उक्त खसरा नम्बर के 1/4 हिस्से पर ग्राम से नहर की ओर रास्ता बना हुआ है जो मौके पर चालू है एवं 1/4 हिस्से पर नैम सिंह पुत्र रामजीलाल जाति जाट व शिव सिंह पुत्र रामजीत जाति जाट के नौहरे बने हुये हैं। इसी प्रकार जवाब सरकार दिनांक 24.11.2021 में वर्णित किया गया है कि गत जमाबन्दी संवत 2021 से 2024 में गत खसरा नम्बर 592/2 रकवा 19 विस्वा किस्म गैर मुमकिन आबादी दर्ज रिकार्ड है। जबकि हाल जमाबन्दी 2065–2068 में सिवायचक खादर हाल खसरा नम्बर 414 गै0मु0 बगीची दर्ज रिकार्ड है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों की ओर गौर ना करते हुये मात्र एक पंक्ति में यह अंकित करते हुये कि वादी अपीलाण्ट ने संवत 2012 की जमाबन्दी प्रस्तुत नहीं की है। अतः वांछित राजस्व रिकार्ड के अभाव में दावा वादी अपीलाण्ट खारिज कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध है। न्यायालय का अस्तित्व पक्षकारों को न्याय उपलब्ध कराने के लिए हैं, विवाद की उपेक्षा करना न्यायालय का ध्येय नहीं हो सकता है। हस्तगत अपील में अपीलाण्ट द्वारा संवत 2012 की जमाबन्दी प्रस्तुत की गयी है। उक्त जमाबन्दी में विवादित आराजी साविक खसरा नम्बर गैर मुमकिन आबादी के रूप में दर्ज है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय वादी अपीलाण्ट को दस्तावेजी साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये एवं उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के परिपेक्ष्य में दावा एवं जवाब दावे के आधार पर प्रकरण में तनकीयात कायम कर विधिसम्मत निर्णय पारित करें। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य समझते हैं।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीग के निर्णय व डिक्री दिनांक 13.12.22 अपास्त किये जाते हैं एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में पक्षकार को सुनवाई एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुये दावे एवं जवाब दावे के आधार पर प्रकरण में तनकीयात कायम कर विधि अनुकूल निर्णय पारित करने हेतु प्रेतिप्रेषित किया जाता है। पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 14.07.2023 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होंवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 22.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर